

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर छ0ग0

-:: आदेश ::-

क्रमांक- 195/दो-11-26/2005

बिलासपुर, दिनांक 02 मई, 2017

इस कार्यालय स्थापना के अंतर्गत सहायक ग्रेड-तीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित अनारक्षित सामान्य वर्ग के 02 (01 अनारक्षित सामान्य वर्ग मुक्त एवं 01 अनारक्षित सामान्य वर्ग महिला) एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 04 (03 अनुसूचित जनजाति वर्ग मुक्त एवं 01 अनुसूचित जनजाति वर्ग महिला) अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची में इन वर्गों के उच्चतम अंक प्राप्त निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष वर्णित पदों पर वेतनमान 5200-20200 + 1900/- (वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप दो वर्ष की परिविक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	नवनियुक्त उम्मीदवारों के नाम एवं पते	वर्ग	पद नाम जिसमें नवनियुक्ति प्रदान की गई
1	2	3	4
1	श्री रोशन लाल सोनी, पिता श्री एकनाथ सोनी, पता-द्वारा लक्ष्मी सोनी, जैन मन्दिर रोड, मैथिलपारा, दुर्ग छ0ग0	सामान्य वर्ग मुक्त	सहायक ग्रेड-तीन
2	श्रीमती प्रतिमा सिन्हा, पति श्री उत्तम कुमार सिन्हा, पता-ग्राम डोड़की, पो0+तह0-धमतरी, जिला धमतरी छ0ग0, पिन-493773	सामान्य वर्ग महिला	सहायक ग्रेड-तीन
3	श्री नेतराम जगत, पिता श्री रामायण सिंह जगत, पता-द्वारा एच0सी0 मिरी, ग्राम सरई सिंगार (हरदीबाजार), देवारपारा, पो0-हरदीबाजार, तह0-पाली, जिला कोरबा छ0ग0 पिन-495446	अनु0 जनजाति मुक्त	सहायक ग्रेड-तीन
4	श्री फनिलराम पिता, श्री रामजीराम, पता-ग्राम आमाटोली (तेन्दूपारा), पो0+तह0-सीतापुर, जिला सरगुजा छ0ग0, पिन-497117	अनु0 जनजाति मुक्त	सहायक ग्रेड-तीन
5	श्री सालिकराम चंद्रवंशी, पिता श्री भागचन्द्र चंद्रवंशी, पता-ग्राम खैरबना, पो0-कोठीटोला, तहसील-डोगरगढ़, जिला राजनांदगांव छ0ग0	अनु0 जनजाति मुक्त	सहायक ग्रेड-तीन
6	कु0 दीप कुमारी केरकेट्टा, पिता स्व0 श्री सुलेमान केरकेट्टा, पता-द्वारा श्रीमती सेलिना तिर्की, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कांकेर छ0ग0	अनु0 जनजाति महिला	सहायक ग्रेड-तीन

नियुक्ति की शर्तें

- 1- यह आदेश पूर्णतः प्राविधिक (Provisional) है।
- 2- उपरोक्त नवनियुक्त उम्मीदवारों को इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र सहित इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। यदि वे फिटनेस प्रमाण पत्र में शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाते हैं, तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 3- पुलिस द्वारा चारित्रिक सत्यापन में उन्हे यदि किसी अपराध में संलग्न रहना पाया गया, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 4- उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण दर्शाये एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन एवं भत्तो का भुगतान कर उन्हे तत्काल सेवामुक्त किया जा सकता है।
- 5- यदि वे शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हे एक माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी, अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले, एक माह के वेतन एवं भत्तो की राशि इस कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 6- इस कार्यालय की अनुमति के बिना वे आगे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा करने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- 7- इस कार्यालय की अनुमति के बिना वे अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। ऐसा करने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- 8- दो वर्षों की परिविक्षा सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने पर कार्य, आचरण आदि के आधार पर शासकीय सेवा में नियमित किये जाने के योग्य पाये जाने पर मूलभूत नियमों के अनुसार स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।
- 9- उपरोक्त नवनियुक्त कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिनके एक से अधिक पत्नियों हो और कोई भी महिला उम्मीदावार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 10- उपरोक्त वर्णित नवनियुक्त उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 11- नवनियुक्त उम्मीदवार जो अन्यत्र सेवारत हैं, वे उक्त विभाग/संस्था/कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
- 12- नवनियुक्त उम्मीदवारों की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय अथवा अनुविभाग में की जा सकती है।
- 13- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 71, दिनांक 17-02-2017 के अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किये जाने के फलस्वरूप विहित समयावधि समाप्त पश्चात् यदि कोई आपत्ति की जाती है, तो इस संबंध में कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा।



(आर0पी0 शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

477 से 484
पृष्ठांकन क्रमांक- /दो-11-26/2005

बिलासपुर, दिनांक ०५ मई, 2017

प्रतिलिपि:-

- 1- श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छ0ग0 बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 1931/तीन-18-27/2008 बिलासपुर, दिनांक 12.03.2013 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री रोशन लाल सोनी, पिता श्री एकनाथ सोनी, पता-द्वारा लक्ष्मी सोनी, जैन मन्दिर रोड, मैथिलपारा, दुर्ग छ0ग0
- 3- श्रीमती प्रतिमा सिन्हा, पति श्री उत्तम कुमार सिन्हा, पता-ग्राम डोड़की, पो0+तह0-धमतरी, जिला धमतरी छ0ग0, पिन-493773
- 4- श्री नेतराम जगत, पिता श्री रामायण सिंह जगत, पता-द्वारा एच0सी0 मिरी, ग्राम सरई सिंगार (हरदीबाजार), देवारपारा, पो0-हरदीबाजार, तह0-पाली, जिला कोरबा छ0ग0 पिन-495446
- 5- श्री फनिलराम पिता, श्री रामजीराम, पता-ग्राम आमाटोली (तेन्दूपारा), पो0+तह0-सीतापुर, जिला सरगुजा छ0ग0, पिन-497117
- 6- श्री सालिकराम चंद्रवंशी, पिता श्री भागचन्द्र चंद्रवंशी, पता-ग्राम खैरबना, पो0-कोठीटोला, तहसील-डोगरगढ़, जिला राजनांदगांव छ0ग0
- 7- कु0 दीप कुमारी केरकेट्टा, पिता स्व0 श्री सुलेमान केरकेट्टा, पता-द्वारा श्रीमती सेलिना तिर्की, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कांकेर छ0ग0
- 8- लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिला न्यायाधीश,
वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

%